पत्रांक--4 / प.1--03 / 2018 559 / दिनांक: 8/3/19

झारखण्ड सरकार

उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

योजना भवन, तृतीय तल्ला, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची-834002

संकल्प

विषयः--राँची विश्वविद्यालय, राँची में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग को विकसित कर अंतराष्ट्रीय स्तर के उतकृष्ट शिक्षण केन्द्र (Centre of excellence) के रूप में विकसित करने हेतु जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के अतंर्गत कुड़ूख, मुंडारी, हो, खड़िया, संथाली, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा एवं पंचपरगनिया भाषा हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति।

झारखण्ड राज्य में कुड़ूख, मुंडारी, हो, खड़िया, संथाली, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा एवं पचपरगनिया प्रमुख भाषाएँ हैं। झारखण्ड क्षेत्र के बहुआयामी सांस्कृतिक विरासत--सामाजिक, सांस्कृतिक भाषायी एवं साहित्यिक विविधापूर्ण विशिष्टता में तथा मानविकी के क्षेत्र में इन जनजातीय भाषाओं का अत्याधिक महत्व है। उपर्युक्त भाषाएँ झारखण्ड के संस्कृति का मूल आधार है। ये सभी भाषाएँ काफी प्राचीन है एवं इनका एक विशिष्ट भाषा विज्ञान है। इन भाषाओं के विकास एवं शोध का अंतराष्ट्रीय महत्व है। ये भाषाएँ मूलतः झारखण्ड में ही विकसित हुई है और बोली जाती है।

अतः यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के अध्ययन, अध्यापन हेतु राज्य में एक अंतराष्ट्रीय स्तर के संस्थान को विकसित किया जाय। इस हेतु जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग(TRL) राँची विश्वविद्यालय, राँची को विकसित कर अंतराष्ट्रीय स्तर के उतकृष्ट शिक्षण केन्द्र (Centre of excellence) के रूप मे स्थापित हो। इस केन्द्र में इन सभी भाषाओं के शोध एवं स्नातकोत्तर स्तर का अध्ययन हेतु सभी समुचित व्यवस्था की जानी है ताकि इन भाषाओं में स्नातकोत्तर की डिग्री दी जा सके। इस विभाग के शिक्षक शिक्षण कार्य एवं शोध के साथ--साथ झारखण्ड राज्य के जनजातीयों भाषाओं के उत्थान एवं संरक्षण हेतु कार्य करेंगे। इन सभी भाषाओं में अलग--अलग संबंधित भाषाओं की स्नातकोत्तर एवं शोध संबंधी डिग्री प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

2. आवश्यक संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता हो सके, इस हेतु जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग(TRL) के अंतर्गत सभी भाषाओं में प्रोफेसर 01, सह–प्रोफेसर 02 एवं सहायक प्रोफेसर 02 के पद सुनिश्चित किया जाना है।

बिहार सरकार शिक्षा विभाग के पत्रांक–747 दिनांक–21.06.1980 द्वारा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग(TRL) के अंतर्गत 01 प्रोफेसर, 02 रीडर(सह–प्राध्यापक) एवं 04 व्याख्याता(सहायक प्राध्यापक) के पद सृजित किये गये है। चूंकि भाषावार पदों का विवरण नहीं किया गया है। अतः प्रोफेसर के 01 पद को मुंडारी, एसोसिएट के 02 पद को क्रमशः कुड़ूख एवं मुंडारी तथा 04 सहायक प्राध्यापक के पदों को क्रमशः कुड़ूख, मुंडारी, नागपुरी एवं कुरमाली का 01--01 पद माना गया है। तदोपरान्त झारखण्ड सरकार मानव संसाधन विकास विभाग के अधिसूचना सं0–38 दिनांक–15.01.2011 द्वारा क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा विभाग के अतंर्गत सभी 09(नौ) भाषाओं यथा कुड़ूख, मुंडारी, हो, खड़िया, संथाली,

3. प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा परिचालन के माध्यम से की गयी अनुशंसा एवं मंत्रिपरिषद की दिनांक–01.03.2019 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या–23 के रूप में प्रदत्त स्वीकृति के आलोक में राँची विश्वविद्यालय, राँची में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग को विकसित कर अंतराष्ट्रीय स्तर के उतकृष्ट शिक्षण केन्द्र (Centre of excellence) के रूप में विकसित करने हेतु जनजातीय एव क्षेत्रीय भाषा विभाग के अतंर्गत कुडूख, मुंडारी, हो, खड़िया, संथाली, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा एवं पंचपरगनिया भाषा हेतु निम्नांकित अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान	पूर्व से सृजित पद	अतिरिक्त सृजित पद	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	8
i.	प्रोफेसर	37400-67000 AGP 10000	कुडूख–00 मुंडारी–01 नागपुरी–00 हो–00 खडिया–00 संथाली–00 कुरमाली–00 खोरठा–00 पंचपरगनिया–00 कुल–01	कुडूख–01 मुंडारी–00 नागपुरी–01 हो–01 खड़िया–01 संथाली–01 कुरमाली–01 खोरठा–01 पंचपरगनिया–01 कुल–08	1.सह–प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक की सीधी नियुक्ति राज्य सरकार के स्टैच्यूट के अनुसार झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर कुलपति द्वारा किया जायेगा। 2.शिक्षक संवर्ग के पदों हेतु मानव संसाधन विकास विभाग (तत्कालीन) के संकल्प संख्या–1188 दिनांक–20.11.2010 द्वारा स्वीकृत वेतनमान / ग्रेड पे अंतिम रूपेण प्रभावी होगा।
ii.	एसोसिएट प्रोफेसर	37400-67000 AGP 9000	कुडूख–01 मुंडारी–01 नागपुरी–00 हो–00 खडिया–00 संथाली–00 कुरमाली–00 खोरठा–00 पंचपरगनिया–00 कुल–02	कुडूख–01 मुंडारी–01 नागपुरी–02 हो–02 खड़िया–02 संथाली–02 कुरमाली–02 खोरठा–02 पंचपरगनिया–02 कुल–16	
iii.	सहायक प्रोफेसर	15600-39100 AGP 6000	कुडूख–02 मुंडारी–02 नागपुरी–02 हो–01 खडिया–01 संथाली–01 कुरमाली–02 खोरठा–01 पंचपरगनिया–01 कुल–13	कुडूख–00 मुंडारी–00 नागपुरी–00 हो–01 खडिया–01 संथाली–01 कुरमाली–00 खोरठा–01 पंचपरगनिया–01 कुल–05	
		कुल	16	29	

4. इन पदों पर होने वाले व्यय का विकलन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट शीर्ष से किया

AnyScanner

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

8/3/19

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-4/प.1-03/2018 559/ राँची, दिनांक 8/3/19/

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची/ई-गजट नोडल पदाधिकारी, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

8/3/19

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-4/प.1-03/2018 559/ राँची, दिनांक 8/3/19/

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, हिनू, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/3/19

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-4/प.1-03/2018 559/ राँची, दिनांक 8/3/19/

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड/सभी सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/3/19

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-4/प.1-03/2018 559/ राँची, दिनांक 8/3/19/

प्रतिलिपि:- निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड/कुलपति/कुलसचिव, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची, सिदो-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका, नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची एवं झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, रांची/विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/3/19

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

AnyScanner